न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी– विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 60/2020 प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

अनवान

1. उदेराम पिता मांगीलाल जाट
2. गोर्वधन पिता मांगीलाल जाट
3. श्रीमति मीठूबाई पत्नि मांगीलाल जाट

सर्व निवासी डेलाना तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

––प्रार्थीगण

बनाम

1. प्रभुलाल पिता भूरा लौहार
2. भैरूलाल पिता मोहनलाल लौहार
3. मु0 मंगनीदेवी पुत्री मोहनलाल लौहार
4. रामचन्द्र पिता मोहनलाल लौहार
5. लादुलाल पिता भुरा लौहार
6. श्यामू देवी पुत्री मोहनलाल लौहार
7. नानी पत्नि हीरालाल लौहार
8. बरदीचन्द पिता हीरालाल लौहार
9. बंशीलाल पिता हीरालाल लौहार

सर्व निवासी डेलाना तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

––विपक्षीगण

अधिवक्ता प्रार्थीगणः–– श्री मुकेश चौधरी
अधिवक्ता विपक्षीगणः–.......................

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 ::

निर्णय दिनांकः–31.07.2020

:: आदेश ::

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षी के विरूद्व प्रस्तुत कर ग्राम डेलाना पटवार हल्का डेलाना तहसील सहाड़ा के प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजियात संख्या 3009/2853 रकबा 0.0560 हे0 कुल किता 01 कुल रकबा 0. हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 552 पर स्थित हैं। भूमि प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार की है जिसकी जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 संलग्न हैं। प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने की इस्तदुआ की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण [illegible] सूचना पत्र जारी किया जाकर सूचित किया गया। विपक्षीगण संख्या 1 [illegible] 4 एवं 7 लगायत 9 बावजूद सूचना के अनुपस्थित अतः एकपक्ष[illegible]ये। एवं विपक्षी संख्या 3, 5, 6 के विरूद्ध प्रार्थीगण अधि[illegible] चाही। प्रार्थना [illegible] प्रार्थी के अधिवक्ता को सुना गया। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी के [illegible]धिवक्ता को सुना गया।

बाद सुनवाई मैने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। प्रार्थना पत्र के अवलोकन व गहन मनन के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपखण्ड अधिकारी
जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.05 16:34:45 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम डेलाना पटवार हल्का डेलाना तहसील सहाड़ा के प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजियात संख्या 3009/2853 रकबा 0.0560 हे0 कुल किता 01 कुल रकबा 0.0560 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 552 पर स्थित हैं। भूमियों का बसामलात पक्षकारान के पत्थरगढ़ी की जाने के आदेश किये जाते हैं, **उक्त भूमि में दोनों पक्षों की उपस्थिति में किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलान्दाजी किये पत्थरगढ़ी की जावें। यदि पत्थरगढी के उपरान्त किसी का प्रतिकूल कब्जा पाया जाता हैं तो धारा 183 आर.टी.ए. के तहत वाद पेश करने के लिए पाबंद किया जावें।** प्रार्थीगण बतौर पत्थरगढी शुल्क राशि 450/– (चार सौ पचास रू. मात्र) राजकोष में जमा करावें तथा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस राशि 450/– (चार सौ पचास रू. मात्र) सम्बन्धित भु–अभिलेख निरीक्षक को मौके पर प्रार्थीगण अदा करें। पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 31.07.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
(विकास पचोली)
गंगापुर जिला भीलवाड़ा
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर(भीलवाड़ा)

उपखण्ड अधिकारी गंगापुर भीलवाड़ा

3.

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.05 16:34:45 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner